मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

# राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

**स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005**

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2018-19/1927 दिनांक : 13.03.2019

## कार्यालय आदेश

M/s Anondita Healthcare, E-4, Site B UPSIDC, Mathura, (U.P.) की निविदा क्रमांक F.02 (40)/RMSC/Proc./Surgical(Non Drug)/NIB-01/2017/76 दिनांक 17.02.2017 के तहत औषधि Gloves Size 7 Inches,Powdered (Disposable Sterile Surgical Rubber Gloves) [S6.a] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 1994 दिनांक 24/11/2017 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 01 बैच को Sterility Test में अमानक कोटि का घोषित किया गया।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूने को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के उक्त बैच को मानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई।तत्पश्चात निर्णयानुसार उक्त बैच को Testing हेतु Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur में भिजवाया गया। Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur से प्राप्त रिपोर्ट में उक्त औषधि के बैच को sterility testing में अमानक कोटि का घोषित किया गया। इस संबंध मे निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न आपकी फर्म की उक्त औषधि को निविदा शर्तो के अनुसार डिबार कर दिया जाये ?

Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur से उक्त बैच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति कि बैठक दिनांक 15/02/2019 को आयोजित की गई , में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur ने औषधि के उक्त बैच को अमानक कोटि का घोषित किया है । फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality के साथ-साथ Grossly Substandard की श्रेणी में परिभाषित हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जित दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(1) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Anondita Healthcare, E-4, Site B UPSIDC, Mathura, (U.P.) की औषधि Gloves Size 7 Inches,Powdered (Disposable Sterile Surgical Rubber Gloves) [S6.a] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(सुरेश चन्द गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक